आदेश म इकबाल प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 33/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

[illegible] एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-11वी मंजिल, नार्थ टावर, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. बाबु लाल सैनी पुत्र श्री भंवर लाल सैनी, पता-प्लाट नम्बर 185, श्री लक्ष्मी वाटिका-बी, बगराना, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान-303012
2. ममता देवी पत्नी श्री बाबु लाल सैनी, पता-वार्ड नम्बर 16, देवी सिंह का बास, ईटावा भोपजी, जयपुर, राजस्थान-303804
3. शंकर लाल सैनी पुत्र श्री गोदू राम माली, पता-देवी सिंह का बास, ईटावा भोपजी, जयपुर, राजस्थान-303804

अप्रार्थीगण

ऋणी, सहऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.01.2024

1. संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वैद फिनसर्व लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.08.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी ममता देवी पत्नी श्री बाबु लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 1922, ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 220.94 वर्गगज, को बन्धक रख कर कुल 4,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। वैद फिनसर्व लिमिटेड ने दिनांक 09.03.2023 को जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट अप्रार्थी का ऋण खाता प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने मे असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्ती संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 4,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप मे अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय

ह0
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 14,12,890/–रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियमि की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी ममता देवी पत्नी श्री बाबु लाल सैनी के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड जो कि खसरा नम्बर 1922, ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान, कुल क्षेत्रफल 220.94 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner